

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की द्वितीय बैठक दिनांक 23.03.2022 का कार्यवृत्त

पत्रांक : 125 / प्र-1 / 007 / नि०म०वै०-004 / 2022 / 10

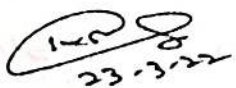
दिनांक : 23.03.2022

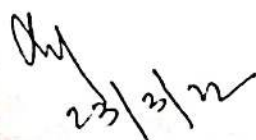
उपस्थिति :-

1. श्री अनुराग श्रीवारस्तव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. श्री प्रियरंजन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव(वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
4. श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री वावू लाल गौतम, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
6. श्री जयदीप सिंह, संयुक्त सचिव (नियोजन विभाग), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
7. श्री अश्वनी सिंह, स्टेट कन्सलटेन्ट, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ ।
8. श्री वाई०के० पाठक, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा० सदस्यों का स्वागत किया गया । अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन द्वारा श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अपर मुख्य सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया । निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये :

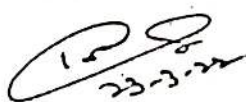
क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
02.01	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति मिनिट्स बुक में चरप्पा कर अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराते हुये हस्ताक्षर कराये गये ।
02.02	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक के अनुपालन की स्थिति ।	निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लिया गया ।
02.03	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश में पेयजल कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा दो नये क्षेत्रीय कार्यालय यथा बुन्देलखण्ड व मुरादाबाद को खोले जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
02.04	अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रधान कार्यालय के पत्रांक 25/2021-शि०सा० अभियोजन/2021 दिनांक 20.12.2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दी गयी अभियोजन की स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
02.05	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के द्वारा निर्गत आदेश को उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में अंगीकृत किये जाने के संबंध में निदेशक मण्डल को अवलोकनार्थ कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	उ०प्र० शासन के आदेश सं० 3156/छिहत्तर-1-2021-12 सम/2021 टी०सी० दिनांक 12.11.2021 को निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित/अंगीकृत किया गया ।


23.3.22


23/3/22



क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
02.06	उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों को उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में यथावत लागू करने हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.07	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्माण मण्डल, इटावा को निर्माण मण्डल, कानपुर में परिवर्तित करने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.08	उ०प्र० जल निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय / मण्डल / खण्ड / इकाई कार्यालयों का विभाजन उ०प्र० जल निगम (नगरीय) व (ग्रामीण) के मध्य किये जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को आवंटित क्षेत्र / मण्डल / खण्ड / इकाई कार्यालयों का नाम परिवर्तन करने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.09	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय / मण्डल / खण्ड कार्यालयों पर तैनात कार्मिकों के सामान्य निर्वाह निधि (जी०पी०एफ०) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	सामान्य निर्वाह निधि (जी०पी०एफ०) की स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप सं० 65/ प्र-1/007/विविध-002/2022/06 दिनांक 22.01.2022 की निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
02.10	उ०प्र० शासन के द्वारा निर्गत आदेश / आदेशों को उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को अवलोकनार्थ कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र सं० 4/2019/13(2)2007/का-1-2019 दिनांक 27.09.2019 एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र सं० 5/2019/13(2)2007/का-1-2019 दिनांक 04.10.2019 को निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित / अंगीकृत किया गया ।
02.11	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत सहायक अभियन्ता की पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर किये जाने हेतु विभागीय चयन समिति के गठन से सम्बन्धित एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.12	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर किये जाने हेतु विभागीय चयन समिति के गठन से सम्बन्धित एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।


23-3-22


23/3/22

5

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
02.13	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत मुख्यालय में समूह 'ग' (अतकनीकी) संवर्ग में कार्मिकों की अत्याधिक कमी के दृष्टिगत कम्प्यूटर आपरेटर की संविदा पर भर्ती किये जाने का एजेण्डा नोट ।	कम्प्यूटर आपरेटरों की व्यवस्था हेतु जेम-पोटल के माध्यम से निविदा आमंत्रित किये जाने पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश भी दिये गये हैं लेखा संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्मिकों की अत्याधिक कमी होने के दृष्टिगत लेखा कार्यों से गिज़ 10 कमियों की आपूर्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से तत्काल की जाये । लेखा कर्मिकों के रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।
02.14	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता (सिविल) व सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती किये जाने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये विभाग में सहायक अभियन्ताओं कि तात्कालिक कमी की पूर्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग के अनुभवी सहायक अभियन्ताओं की सेवाएं प्राप्त की जाये ।
02.15	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियर (सिविल) व जूनियर इंजीनियर (वि०/यॉ०) के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती किये जाने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये विभाग में जूनियर इंजीनियरों कि तात्कालिक कमी की पूर्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग के अनुभवी जूनियर इंजीनियरों की सेवाएं प्राप्त की जाये ।
02.16	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक (ग्रेड-4) के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.17	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत विधि सलाहकार/विधि परामर्शदाता के पद पर श्री अशोक कुमार एडवोकेट को संविदा पर एक वर्ष हेतु आवद्ध किये जाने का एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.18	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय एवं प्रयागराज में विधि अनुभाग में तैनात कार्मिकों के पद नाम के सम्वन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा विधि अनुभाग में तैनात कार्मिकों के पद नाम परिवर्तित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

1-58
23-3-22

23/3/22

8

क्र०सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
02.19	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (वित्त एवं लेखा अधिकारी) सेवाविनियमावली-2020 को अंगीकृत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.20	उत्तर प्रदेश जल निगम के अंतर्गत लागू नियमावलियों को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में यथावत लागू किये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	उ०प्र० जल निगम के अंतर्गत लागू निम्न नियमावलियों को समस्त संलग्नकों सहित उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत यथावत लागू किये जाने का निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । 1. उ०प्र० जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 2. उ०प्र० जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली-1979 3. उ०प्र० जल निगम हाइड्रोजियोलॉजिकल-जियोफिजिकल सेवा विनियम-2005 4. उ०प्र० जल निगम (मिनिस्ट्रीरियल अधिष्ठान) सेवा विनियमावली-2020 5. उ०प्र० जल निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटर कार एवं जीप ड्राइवर सेवानियमावली-1980 6. उ०प्र० सरकारी विभाग ड्राइवर सेवानियमावली-1993
02.21	उत्तर प्रदेश जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवाविनियमावली-2020 को उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में अंगीकृत करने/प्राविधान लागू कराये जाने सम्बन्धी एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
02.22	का०ज्ञा० सं० 676/007-2019-01-0109 (ज्ञा०क्षे०) दिनांक 17.08.2021 से पारित दण्डादेश के सापेक्ष श्री राम बिहारी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील का एजेण्डा नोट ।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राम बिहारी, अधिशासी अभियन्ता निदेशक मण्डल के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं अपील को सुनने के पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा प्रकरण में निर्णय लिये जाने से पूर्व इस प्रकरण की पूर्ण पत्रावली विवेचना हेतु अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

12/8
23-3-22

23/3/22

8

क्र0सं0	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
02.23	अध्यक्ष महोदय की स्वीकृत से	
02.23.01	श्री मुन्शी लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता की रख-रखाव खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, आगरा में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य अन्य कार्यों पर धनराशि रु0 38.83 करोड़ के व्ययवर्तन से सम्बन्धित संस्थित प्रकरण में जाँच आख्या के सापेक्ष अपचारियों का प्रत्यावेदन एवं प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख प्रश्नगत प्रकरण के दण्ड के निर्धारण हेतु उ0प्र0 जल निगम निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु एजेण्डा नोट ।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री मुन्शी लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता निदेशक मण्डल के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं अपील को सुनने के पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं । 1. जाँच निस्तारित होने के पश्चात पुनः दुबारा से जाँच किये जाने पर विधिक राय ली जाये । 2. प्रथम बार में की गयी जाँच में आरोप पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को निस्तारित करने के उपरान्त दुबारा उन्ही बिन्दुओं/आरोपों पर क्या जाँच की गयी है । 3. श्री मुन्शी लाल द्वारा प्रेषित अधिशासी अभियन्ता के पत्र जिसके अनुसार इनके द्वारा प्रकरण में इनके द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, की जाँच करते हुये प्रकरण प्रस्तुत करें । उक्त तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त प्रकरण अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।
02.23.02	श्री गिरधारी लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की रख-रखाव, उ0प्र0 जल निगम, आगरा में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य अन्य कार्यों पर धनराशि रु0 38.83 करोड़ के व्ययवर्तन से सम्बन्धित सम्बन्धित संस्थित प्रकरण में जाँच आख्या के सापेक्ष अपचारियों का प्रत्यावेदन एवं प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख प्रश्नगत प्रकरण में दण्ड के निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु एजेण्डा नोट ।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री गिरधारी लाल, से0नि0 अधि0अभि0 निदेशक मण्डल के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा अपने पक्ष में प्रेषित किये गये तथ्यों एवं अपील को सुनने के पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं । 1. जाँच निस्तारित होने के पश्चात पुनः दुबारा से जाँच किये जाने पर विधिक राय ली जाये । 2. प्रथम बार में की गयी जाँच में आरोप पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को निस्तारित करने के उपरान्त दुबारा उन्ही बिन्दुओं/आरोपों पर क्या जाँच की गयी है । उक्त तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त प्रकरण अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

125
23-03-22
(कन्हैया बाबू गुप्ता)
सचिव(प्रशासन)

23/3/22
(प्रियरंजन कुमार)
वित्त निदेशक

31
23-03-22
(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Seen

3